SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

स्वतंत्र भारत में 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उन्नयन तक राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन का एक समीक्षात्मक अध्ययन

कमलेश चंद्र प्रसाद, (Ph.D.), शिक्षा विभाग
शिल्पी सिंह, शोधार्थी, शिक्षा विभाग
साईनाथ विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Authors
कमलेश चंद्र प्रसाद, (Ph.D.), शिक्षा विभाग
शिल्पी सिंह, शोधार्थी, शिक्षा विभाग
साईनाथ विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 22/03/2023
Revised on : -----
Accepted on : 29/03/2023
Plagiarism : 00% on 23/03/2023

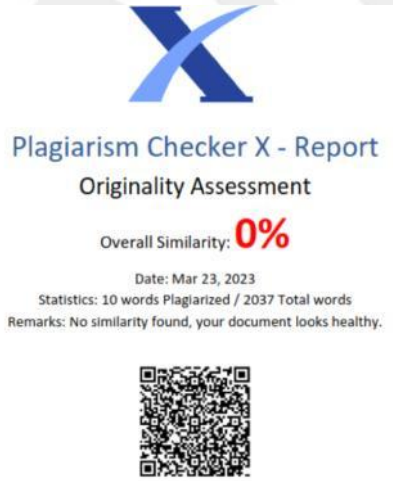

शोध सार

भारतीय शिक्षा का इतिहास जीवंत भूतकाल है। यह इतिहास बीते गए समय के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक सांस्कृतिक, औद्योगिक आदि पक्षों का जीवंत चित्रण है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत शिक्षा के महत्व को एवं शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व को केन्द्र एवं राज्यों के बीच विभाजित किया। निःसंदेह 1947 के बाद भारत में शिक्षा के विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में राधाकृष्णन आयोग, 1952 में मुदालियर आयोग, 1964 में शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) एवं अन्य कई शिक्षा समितियों के साथ–साथ 1968, 1986, 1992 (सं) में भूषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी भारतीय शिक्षा के विकास के कई आयाम खोले तथा, कालजयी परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतीय शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की संस्तुति या नीति भारतीय जीवन मूल्य ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिकता के परिधि में वैज्ञानिकता के साथ–साथ सार्वभौमिक स्वरूप को स्थापित करता है।

मुख्य शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा, संस्तुति.

शोध कार्य की प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र का इतिहास न केवल घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन है वरन् उस राष्ट्र के सम्पूर्ण जीवन दर्शन का एक प्रतिबिम्बित रूप भी है। यही कारण है कि इतिहास बीते गये समय के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक सांस्कृतिक औद्योगिक आदि पक्षों का सजीव चित्रण करता है। मानव जाति अतीत में घटित घटनाओं के परिणामें के ज्ञान का उपयोग अपने वर्तमान

एवं भविष्य में श्रेष्ठ बनाने में करती है।

सन् 1947 के बाद के समय को स्वतंत्रोत्तर काल कहा जाता है। भारत ने सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की तथा इसके उपरान्त भारत की आवश्यकता के अनुरुप शिक्षा के क्षेत्र में अनेकानेक परिवर्तन किये एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तरफ कदम बढ़ाये गये। दरअसल स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक शिक्षा शास्त्रियों, राजनैतिक नेताओं, समाज सुधारको तथा धर्मगुरुओं ने ब्रिटिश काल में अंग्रेज शासकों के द्वारा भारत में लागू की गई शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की कटु आलोचना की थी तथा उसे भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर बल दिया। भारत के स्वतंत्र हो जाने पर इन विचारकों का मत था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता है, जिससे यह स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुकूल बन सके।

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया तथा शिक्षा सम्बंधी उत्तरदायित्वों को केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित कर दिया जिससे केन्द्र तथा राज्य अपने–अपने स्तर पर शिक्षा का नियोजन करके शैक्षिक विकास को सुनिश्चित कर सके। निःसंदेह, 1947 के बाद भारत में शिक्षा के विकास के एक नये युग का सूत्रपात हुआ। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में वे सभी उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हो सकी जो स्वतंत्र भारत में अपेक्षित थी फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। भारतीय शिक्षा के ज्ञात इतिहास में शिक्षा तथा इसकी समस्याओं पर इतना अधिक ध्यान पहले कभी नहीं दिया गया था जितना ध्यान स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त दिया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्त करने के तत्काल बाद भारत के सामने अनेक समस्यायें थी, इन समस्याओं में से एक शिक्षा प्रणाली के पुर्नगठन करने तथा शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने की समस्या भी थी। सभी बालको को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने अनपढ़ प्रौढ़ों को साक्षर बनाने, माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने, विज्ञान तकनीकी शिक्षा का तेजी से विस्तार करने, लड़कियों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने तथा मातृभाषा प्रादेशिक भाषा व राष्ट्रभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने जैसी अनेक विकट चुनौतियाँ स्वतंत्र भारत के कर्णधारों के सम्मुख थी। निःसदेह स्वतंत्र भारतीय संविधान के निर्माताओं तथा केन्द्र व राज्यों की सरकारो ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया तथा भारतीय शिक्षा को नई दिशा प्रदान करने का अथक प्रयास किया गया। संविधान में शिक्षा के सम्बंध में अनेक प्रावधान करके सभी के शैक्षिक अधिकारो को सुनिश्चित किया गया तथा केन्द्र तथा राज्यों के शैक्षिक उत्तरदायित्वों को स्पष्ट कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त 1948 में डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सन् 1952 में डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुखलियर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग, 1964 में कोठारी आयोग अन्य शिक्षा समिति और आयोग का गठन विभिन्न स्तरों की शिक्षा समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनके समाधान प्रस्तुत करने के लिए किया गया। केन्द्र तथा राज्य स्तर पर अनेक शैक्षिक समितियों का भी गठन किया गया। सन् 1968 तथा सन् 1986, 1992 (संशोधित) में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी भारतीय शिक्षा के विकास के कुछ दिलचस्प मोड़ हैं तथा कालजयी परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन प्रशस्त हो रहा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि, से भारत सरकार ने समय–समय पर कई शिक्षा आयोगों का गठन किया। इन आयोगों ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों की समस्याओं का अध्ययन करके भारत सरकार को अपने सुझाव दिया, जिससे शिक्षा व्यवस्था में भारत की आवश्यकताओं के अनुरुप आवश्यक परिवर्तन किये गये।

स्वतंत्रता–प्राप्ति के उपरान्त भारतीय, शिक्षा के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम सन् 1968 में भारत सरकार के द्वारा 'शिक्षा की राष्ट्रीय नीति' की घोषणा करना था। कोठारी आयोग के सुझाव के अनुरूप भारत सरकार ने इस नीति की घोषणा की थी। इस नीति ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने तथा सभी स्तरों की शिक्षा की गुनवत्ता को बढाने पर बल दिया गया था। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक संकल्प की पूरा करने, अध्यापकों के स्तर व प्रशिक्षण में सुधार करने त्रिभाषा सूत्र को लागू करने, शिक्षा प्राप्ति का अवसर सभी को सुलभ कराने, प्रतिभाओं की खोज व उनका विकास करने, कार्य–अनुभव व राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने,

विज्ञान, कृषि व उद्योगों की शिक्षा व अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीय व वैध बनाने, अल्पसंख्यकों की शिक्षा को बढ़ाने, तथा 10+2+3 के शैक्षिक ढांचे को सम्पूर्ण राष्ट्र में लागू करने जैसे अनेक संकल्प इस शिक्षा नीति में किये गये थे।

सन् 1968 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की जा चुकी थी परन्तु 1977 में केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई जनता दल की सरकार का विचार था कि राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय है तथा इसकी कमियों को दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। तब विचार–विमर्श के उपरान्त सन् 1970 में जनता सरकार ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया परन्तु सन् 1980 में जनता सहभागी प्रबन्ध, तथा शिक्षा के लिए संसाधन आदि के सम्बन्ध में अनेक महत्पूर्ण सुधार सरकार के गिर जाने के कारण इस मसौदा शिक्षा नीति को संसद की स्वीकृति नहीं मिल सकी थी। जनता सरकार के द्वारा तैयार की गई इस मसौदा शिक्षा नीति में अनेक बातें पूर्ववर्ती शिक्षा नीति के समान थी। इस मसौदे में समान स्कूल व्यवस्था, पार्श्व–स्कूल व्यवस्था, 8+4+3 के शैक्षिक ढाँचे, शिक्षा में समाज की भागीदारी बढ़ाये जाने, स्वैच्छिक संगठनों का अधिक सहयोग प्राप्त करने पर अधिक जोर दिया गया था।

सन् 1986 में राजीव गाँधी सरकार द्वारा शिक्षा की नई नीति की राष्ट्रीय घोषणा की गई। इस नीति में राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया है। इस नीति में 10+2+3 की स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन करने, तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा में सुधार करने, अध्यापकों के उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करने, पाठयक्रमों के अभिनवीनीकरण करने, अध्यापक शिक्षा में सुधार करने, राष्ट्रीय सेवा प्रारम्भ करने, शैक्षिक निवेश को बढ़ाने, नवोदय विद्यालय खोलने, उपाधि को नौकरी से विलग करने, स्वायत्तता को बढ़ाने, कम्प्यूटर ज्ञान का विस्तार करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने जैसे संकल्प किये गये हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 को लागू करने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने एक कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार किया। इस कार्यान्वयन कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मे किए गए संकल्पों तथा निर्देशों को पूरा करने के लिए किए जाने वाले क्रियाकलपों को प्रस्तुत किया गया। कार्यान्वयन कार्यक्रम में कुल 24 अध्यायों के अन्तर्गत शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले क्रियाकलापों को बांटे गये हैं, ये 24 क्षेत्र हैः पूर्व बाल्यकाल परिचर्या व शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा व आपरेशन ब्लैक बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा व नवोदय विद्यालय, शिक्षा का व्यवसायीकरण, उच्च शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय व दूर शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालय व संस्थान, तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा प्रणाली को कार्यकारी बनाना, उपाधि की रोजगार से विलगता व मानव शक्ति नियोजन, अनुसंधान व विकास, नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्कूल शिक्षा की विषयवस्तु व प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रिया व परीक्षा सुधार, युवा व खेल, भाषा विकास सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, संचार साधन व शैक्षिक तकनीकी, अध्यापक व उनका प्रशिक्षण तथा शिक्षा का प्रबन्ध। इस सभी क्षेत्रों में किये जाने वाले क्रियाकलाप कार्यान्वयन कार्यक्रम में प्रस्तुत किये गये हैं।

आचार्य रामपूर्ति की अध्यक्षता में एक सत्रह सदस्यीय समिति की नियुक्ति सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा निति की समीक्षा करने के लिए मई 1990 में केन्द्र की जनता सरकार के द्वारा की गई थी जिसने दिसम्बर 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

समिति ने शिक्षा की भूमिका, शिक्षा व नारी समानता, अनुसूचति जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गो की शिक्षा, विकंलागों की शिक्षा, सार्वजनिक स्कूल प्रणाली, नवोदय विद्यालय, शिशु देखभाल व शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वीकरण, प्रौढ़ व अनुवर्ती शिक्षा,शिक्षा व काम का अधिकार, उच्च शिक्षा तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा, शिक्षा में भाषाओं का स्थान, शिक्षा की विषयवस्तु व प्रक्रिया, शिक्षक व छात्र, विकेन्द्रीकरण व सहभागी प्रबंध तथा शिक्षा के लिए संसाधन आदि के सम्बंध में अनेक महत्त्वपूर्ण सुधार करने की अनुशंसा की। परन्तु केन्द्र मे सत्ता परिवर्तन के कारण इस समिति के सुझावों को क्रियान्वित किया जाना सम्भव नही हो सका है।

सन् 1986 मे घोषित नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षिक विकास के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था।

इस शिक्षा नीति में 10+2+3 की राष्ट्रीय संरचना को अपनाने, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को लागू करने, शैक्षिक अवसरों की समानता व शैक्षिक गुणवत्ता की तुलनीयता पर जोर, नवोदय विद्यालयों की स्थापना आदि पर विशेष जोर दिया गया था। इस शिक्षा नीति में यह भी कहा गया था कि प्रत्येक पाँच वर्ष के उपरान्त विभिन्न संकल्पों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जायेगी। इसी क्रम में सन् 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई तथा संशोधित नीति प्रारूप (Revised Policy Formulations) 7 मई 1992 को संसद के दोनों सदनो मे रखे गए तथा तदुपरान्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कतिपय संशोधन किये गये एवं कार्यान्वयन हेतु संशोधन कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार किया गया जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 (POA-1992) कहा गया।

सन् 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि प्रत्येक पाँच–पाँच वर्ष के उपरान्त इस नीति की समीक्षा की जायेगी। सन् 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई तथा प्राप्त सफलताओं–असफलताओं को ध्यान में रखकर इसमें अनेक संशोधन किये गये। साक्षरता अभियान पर अधिक जोर देने, सतत् शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम उपलब्ध कराने, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम व्यापक करने, महिलाओं की अध्यापक के रूप में नियुक्ति करने, अनौपचारिक शिक्षा पर अधिक जोर देने, लड़कियों व पिछड़े वर्ग के बच्चों के नामांकन पर अधिक जोर देने, मुक्त अधिगम प्रणाली को सुदृढ़ करने, राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन गठित करने, जनसंख्या शिक्षा पर अधिक बल देने तथा परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार करने जैसे अनेक महत्वपूर्ण संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किये गये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के किये गये संशोधनों को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन कार्यक्रम भी तैयार किया गया। इस कार्यान्वयन कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों तथा योजनाओं को 23 (तेईस) खण्डों में विभक्त करके प्रस्तुत किया गया है।

34 वर्षो के उपरान्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा नीति के रूप में आई। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन हैं। यह नीति अन्तरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य, सरल घरेलु उत्पाद के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया जाना, पाँचवी कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप अपनाये जाना, देश भर में उच्च शिक्षा संरचनाओं के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद् नानक एकता नियामक का होना विद्यालयी शिक्षा को 5+3+3+4 के रूप 3 वर्ष से 18 वर्ष का शिक्षा प्रारूप तैयार किया गया है। महाविद्यालयी शिक्षा 4 वर्षीय करने के साथ स्नातकोत्तर को एक वर्षीय एवं दो वर्षीय रखा गया है आदि प्रमुख तथ्य क्रियान्वयन हेतु 2022 से प्रस्तुत किया गया है जिसका आधार भारतीय मूल्य एवं वैज्ञानिकता के साथ वैश्विक जरूरत को पूरा करना है।

निष्कर्ष

स्वतंत्र भारत में प्रारंभ से वर्तमान तक कई शिक्षा आयोग, समिति एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनी हैं। परतंत्रता के कारण भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मूल बनावट वैदेशिक आवरण में हो गया जिसे स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान निर्माताओं, समाज सेवियों, चिंतकों, शिक्षाविदों, आयोगों, समितियों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन ने शनैः–शनैः भारतीय परंपरा एवं ज्ञान को समाहित करने का सार्थक एवं विनम्र प्रयास किया है जिसके स्वरूप विस्तार ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संस्तुत्य है।

संदर्भ सूची

1. अग्निहोत्री रविन्द्र, *भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्या,* दिल्ली, रिसर्च पब्लिकेशन्स, 1994।
2. अग्रवाल, जे. सी., *लैंडमार्क्स इन दॉ हिस्ट्री ऑव मॉडर्न इन्डियन एजूकेशन,* नई दिल्ली, वाणी बुक्स, 2010।
3. अदावल एस. बी. तथा, एम. उनियाल, *भारतीय शिक्षा की समस्याएँ तथा प्रवृत्तियाँ,* लखनऊ, उत्तर प्रदेश

हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1998।

4. कबीर हुमायूँ, स्वतंत्र भारत में शिक्षा , दिल्ली, राजपाल एन्ड सन्स, 1960।
5. गुप्ता एस. पी., *शिक्षा का ताना–बाना,* इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन, 2001।
6. गुप्ता, एस. पी., तथा अन्य, *दूरस्थ शिक्षा,* इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन, 2000।
7. चौबे सरयू प्रसाद, पाण्डेय राम शकल, *भारत में शिक्षा का विकास,* इलाहाबाद, सेण्ट्रल बुक डिपो, 2006 शिक्षा समीक्षा, इलाहाबाद : प्रयाग पुस्तक भवन, 2006।
8. रावत प्यारे लाल, *भारतीय शिक्षा का इतिहास,* आगरा, राम प्रसाद एण्ड सन्स, 2003।
9. सिंघल महेश चंन्द्र, *भारतीय शिक्षा की वर्त्तमान समस्यायें,* जयपुर, राजस्थान, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2000।

****